न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/47/2024	2024/78	21.10.2024	24.12.2025

1.सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री रविन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री बिहारी सिंह राजपूत, निवासी ऊकसी बहतूकला, जिला अलवर (राजस्थान)।
2.श्री चतर सिंह पुत्र श्री छुट्टन सिंह निवासी जांगरू खोह, बहतूकला, जिला अलवर (राजस्थान)।

—अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985।

अनुपस्थितः—
01. श्री प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि
02. श्री रविन्द्र सिंह व चतर सिंह —अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 05.10.2024 को लक्ष्मणगढ फील्ड भ्रमण के दौरान कनवाडा मोड पर रोड के किनारे 02 व्यक्ति रविन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री बिहारी सिंह राजपूत निवासी ऊकसी बहतूकला, अलवर (राजस्थान) एवं चतर सिंह पुत्र श्री छुट्टन सिंह निवासी जांगरू खोह, तूकला, अलवर (राजस्थान) सन्देहास्पद इफको कम्पनी मार्का डीएपी बेचान करते हुए दिखाई दिये, जिनके पास उर्वरक बेचने का लाईसेन्स नही पाया गया एवं उनके पास से 38 कट्टे इफको मार्का पाये गये, जिनको जब्त कर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ के कॉस्टेबल विजय सिंह पुत्र श्री कालूराम जाटव निवासी पाण्डेका थाना पहाडी जिला डीग (भरतपुर), कॉस्टेबल नम्बर 1787 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ को सुपुर्द्द कर दिया गया एवं सम्बंधित दोनो व्यक्तियो के खिलाफ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में एफआईआर (एफआईआर नम्बर—0348) दिनांक 05.10.2024 को दर्ज कराई गई। इस तरह अवैध रूप से उर्वरक का बेचान करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत आता है। उका कार्यवाही के दौरान विनोद कुमार कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि०) अलवर मौजूद थे। उक्त सन्देहास्पद डीएपी उर्वरक का नमूना आहरण किया गया। जिसको विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला को भिजवाया जा रहा है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (क) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। उर्वरक आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत श्रीमान को प्रेषित है तथा श्रीमान जी से निवेदन है कि जब्त शुदा उर्वरक को राजसात करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये रिजस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बाबजूद रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6—ए के तहत जब्त किए गए डीएपी उर्वरक को राजसात करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

और उसके निस्तारण के संबंध में है, जिसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के साथ सहपठित किया गया है। अप्रार्थीगण सन्देहास्पद इफको कम्पनी मार्का डीएपी का बेचान कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से 38 कट्टे इफको मार्का जब्त कर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ के कॉस्टेबल विजय सिंह पुत्र श्री कालूराम जाटव निवासी पाण्डेका थाना पहाडी जिला डीग (भरतपुर), कॉस्टेबल नम्बर 1787 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ को सुपुर्द्ध कर दिया गया एवं सम्बंधित दोनो व्यक्तियो के खिलाफ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में एफआईआर (एफआईआर नम्बर–0348) दिनांक 05.10.2024 को दर्ज कराई गई। अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक माल की खरीद का कोई वैध दस्तावेज या अनुज्ञापत्र (License) पेश नहीं कर सका। प्रार्थना पत्र दर्ज होने के उपरांत, अप्रार्थीगण को नियमानुसार पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस जारी कर तलब किया गया। रजिस्टर्ड तलबी के बावजूद अप्रार्थीगण आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हैं और अपना पक्ष रखने में विफल रहे हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य (निरीक्षण प्रतिवेदन, मौका पर्चा, जब्ती नोटिस) से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण बिना किसी वैध लाइसेंस/अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से उर्वरक का कारोबार कर रहा था। जब्त उर्वरक के नकली होने का संदेह है, और इसे अवैध रूप से संग्रहित/बेचा जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का गंभीर उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण, यह स्थापित होता है कि जब्त माल को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उक्त जब्त (38 वैग इफको मार्का) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत राजसात किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद अलवर, जिला अलवर राज0 को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जब्त (38 वैग इफको मार्का) को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद अलवर, जिला अलवर राज0 को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)